

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

दिनांक:- / / 2015

क्रमांक:-भू.अ./2015/

प्रेषिति,  
श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
चित्तौडगढ

महोदय,  
निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्रीमती उग्रमबाई मित्त पति देवराजराव नि.  
... प.ह. ... के राजस्व ग्राम ... में जमाबन्दी संवत ...  
2078-2081 की खाता संख्या ... में जाति/नम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.  
ने सम्मानजनक जाति/नम ... किये जाने की रिपोर्ट की है।  
सम्मानजनक जाति/नम ... का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना  
उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबधित जाति) अनुसूचित जाति  
श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।  
जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42  
(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

दिनांक:-17/10/2015

क्रमांक:-रीडर/2015/ 829

निमित्त,  
पटवार हल्का ...

विषय:-सम्मानजनक जाति/नम दर्ज करने बाबत।  
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136  
प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्रीमती उग्रमबाई मित्त पति देवराजराव  
राजस्व ग्राम ... प.ह. ... की खाता संख्या ... में  
जाति/नम ... दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व  
पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति/नम  
सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।  
अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्रीमती उग्रमबाई मित्त पति देवराजराव  
जाति/नम ... एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज  
करने की स्वीकृत एतद् द्वारा दी जाती है। प.ह. ... राजस्व रिकार्ड में  
उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:-तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ